आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांकः एफ1 (1)/~~स्था~~/सान्याअवि/19/ 20306-39 जयपुर, दिनांक 6/2/2020

उप निदेशक/सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
....

विषय :- हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आयोजित विभागीय परीक्षाओं के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशक एवं पंजीयक विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवाएं) हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक प.11(1)रीपा/परीक्षा/विभागीय/पपै-वापका/2020/24554-80 दिनांक 20.1.2020 द्वारा राजस्थान नागरिक सेवाएं (विभागीय परीक्षाएं) नियम 1959 के नियम 7(4)के अनुसरण में वर्ष 2020 में विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इस विभाग से सम्बन्धित परीक्षाएं दिनांक 27.3.2020, 30.3.2020 एवं 31.3.2020 को है। परीक्षा के लिए संस्थान में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10.2.2020 है।

अतः लोक प्रशासन संस्थान से प्राप्त विज्ञप्ति एवं विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि विभागीय सहायक निदेशक एवं समाज कल्याण अधिकारी स्तर के अधिकारी जो विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है, संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण भरकर दिनांक 6.2.2020 तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(जय नारायण मीणा) 5/2/20
अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)

D:\Pension cell\pension\Letter 2019-2020.docx
E mail- raj.sje@rajasthan.gov.in , sjcd01ada@gmail.com
http.\\sjerajasthan.gov.in

phone 0141-2220194

क्रमांकः एफ1 (1)/स्था./सान्याअवि/19/20340-94 जयपुर, दिनांक 4/2/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, आयुक्त विशेष योग्यजन, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को वास्ते ईमेल।
4. अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/नारी निकेतन/बालिका गृह/शिशुगृह/मानसिक विमन्दित गृह, ...
5. सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, जयपुर।
6. जिला बालक अधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग,..

4.2.20.

(चाँद मल वर्मा)
उप निदेशक(कार्यालय प्रशासन)

D:\Pension cell\pension\Letter 2019-2020.docx
E mail- raj.sje@rajasthan.gov.in , sjed01ada@gmail.com
http:\\sjerajasthan.gov.in
phone 0141-2220194

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक एवं पंजीयक विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवाएं)
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

क्रमांकः प.11(1) रीपा/परीक्षा/विभागीय/पपै–वापका/2020/24554-20 दिनाक : 20/01/2020

विज्ञप्ति

जनवरी 2020

राजस्थान नागरिक सेवाएं (विभागीय परीक्षाएं) नियम 1959 के नियम 7(4) के अनुसरण में वर्ष 2020 में विभागीय परीक्षाएं निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। परीक्षा संबंधित अन्य विवरण भी इसमें अंकित किया हुआ है।

क्र. सं.	विभागीय परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि	प्रश्न पत्र	परीक्षा के लिए संस्थान में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	राजस्थान राजपत्र जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ है।
01	नियोजन विभाग के सहायक नियोजन अधिकारी	23.03.2020 24.03.2020 26.03.2020	पहला दूसरा तीसरा	05.02.2020	30.12.1965 भाग–7(बी) पृष्ठ संख्या 1341–1344
02	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक एवं समाज कल्याण अधिकारी	27.03.2020 30.03.2020 31.03.2020	पहला दूसरा तीसरा	10.02.2020	5.3.1964 भाग–2 (क) पृष्ठ संख्या 414–415
03	फैक्ट्रीज एवं बॉयलर्स विभाग के कारखाना निरीक्षक	13.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 17.04.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	28.02.2020	18.5.1972 भाग–7 (क) पृष्ठ संख्या 195–97
04	पूर्व राज्य आधारभूत परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारियों की आधारभूत परीक्षा	20.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 28.04.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां	04.03.2020	—
05	नगर नियोजन विभाग के सहायक नगर नियोजक (पदोन्नती एवं सीधी भर्ती)	04.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 07.05.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	16.03.2020	18.4.1991 भाग–7 पृष्ठ संख्या 01–3
06	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के सहायक अधीक्षक	18.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 22.05.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा	03.04.2020	25.4.1974 भाग–ख पृष्ठ संख्या 152
07	ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा अधिकारी	03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020	पहला दूसरा तीसरा	17.04.2020	27.1.2011 भाग–7 विशेषांक
08	बीमा विभाग के सहायक निदेशक	23.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 26.06.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	06.05.2020	23.7.1970 भाग–7 पृष्ठ संख्या 630
09	आबकारी विभाग के सहायक आबकारी (निरोधक दल)	07.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 10.07.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	21.05.2020	16.3.1992 भाग–7 पृष्ठ संख्या 1663–64
10	खान एवं भू–विज्ञान के भू–वैज्ञानिक	14.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 17.07.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	29.05.2020	6.11.1969 भाग–7 पृष्ठ संख्या 865–866

11	श्रम कल्याण विभाग के श्रम कल्याण अधिकारी	21.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 24.07.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	04.06.2020	19.1.1967 भाग–7(ख) पृष्ठ संख्या 944
12	सहकारी विभाग के सहायक रजिस्ट्रार	04.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	18.06.2020	11.10.1962 भाग–2(क) पृष्ठ संख्या 97
13	वन विभाग के सहायक वन संरक्षक	17.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 प्रश्न पत्र छः के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से ग्राम आवंटन किया जायेगा।	पहला दूसरा तीसरा पांचवा चौथा	01.07.2020	3.12.1964 भाग–4 (ग) पृष्ठ संख्या 525–29
14	वाणिज्यक कर विभाग के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	03.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां	17.07.2020	12.3.1981 भाग–2 (क) ृष्ठ संख्या 86–88 एवं .0.6.2018 भाग–7 ेशेषांक पृष्ठ संख्या 1–22
15	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सांख्यिकी अधिकारी	21.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा	05.08.2020	2.10.1975 भाग–7 पेज पृष्ठ संख्या 383–85
16	खान एवं भू–विज्ञान विभाग के सहायक खनिज अभियन्ता	06.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	20.08.2020	6.11.1969 भाग–7 (बी) पृष्ठ संख्या 867–69
17	उधोग विभाग के राज्य सेवा अधिकारी	19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 27.10.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां	31.08.2020	30.3.1967 भाग–7(ख) पृष्ठ संख्या 259–64
18	परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी	02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	18.09.2020	26.12.1985 भाग–7 पृष्ठ संख्या 457–58
19	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल / यांत्रिक)	09.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा	23.09.2020	13.1.1972 भाग–7 पृष्ठ संख्या 1383–86 एवं 30.10.1975 पृष्ठ संख्या 427–28 एवं भाग 2(क) 5.5.83 पृष्ठ संख्या 11
20	मूल्यांकन विभाग के जिला मूल्यांकन अधिकारी	24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा	05.10.2020	12.8.1982 भाग–7 पेज पृष्ठ संख्या 188–189
21	राजस्थान प्रशासनिक सेवा की पूर्व संस्थानिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारियों की विशेष संस्थानिक परीक्षा	01.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 07.12.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा	20.10.2020	–

22	राजस्थान लेखा सेवा की पूर्व संस्थानिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारियों की विशेष संस्थानिक परीक्षा	10.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा	22.10.2020	—

(सभी परीक्षाएं प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ होगी)

नोट :— क्र.सं. 13 वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों की विभागीय परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र—VI (सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट) के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से ग्राम आवंटन किया जायेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट संबंधित परीक्षार्थी द्वारा सीधे हीं संस्थान को परीक्षा समाप्ति की अवधि से 45 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी। उक्त समयावधि में सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर यथा समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

उक्त नियमों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे अपना आवेदन—पत्र अपने विभागाध्यक्ष को समय पर भेज देवे ताकि इनकी पात्रता की जाँच आदि करने के पश्चात विभागाध्यक्ष ऐसे अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन पत्र जिन्हें परीक्षा में बैठने के लिए पात्र पाया गया हो उन्हे निर्धारित अन्तिम तिथि तक इस संस्थान को भिजवा सके। सीधे भेजे गये आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कोई नवीन बैच आने पर तिथि अलग से तय की जायेगी।

(अश्विनी भगत)
निदेशक एवं पंजीयक

क्रमांकः प.11(1) रीपा / परीक्षा / विभागीय / पपै—वापका / 2020 / 24554-80 दिनाक :-20 / 01 / 2020 13/01/20

1. आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी-3/1 अम्बेडकर भवन, जयपुर को (क्रम संख्या 01—22) मय निर्धारित आवेदन—पत्र की रिक्त प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस परीक्षा कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की व्यवस्था करावें। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उक्त तिथि जिस तक आवेदन—पत्र आप अपने कार्यालय में जांच हेतु प्राप्त करना चाहते हो, उसका भी उल्लेख कर देवें। आवेदन पत्रों की जांच आदि की प्रक्रिया में जितना समय पूर्ण आवेदन पत्र इस संस्थान को प्राप्त होने में लगने की सम्भावना हो, उन सबका ध्यान रखते हुए ही वह तिथि निर्धारित करें। संस्थान द्वारा विभागाध्यक्ष या इस कार्य हेतु उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भिजवाये गये आवेदन—पत्रों पर ही विचार किया जावेगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन—पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क—4) शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर को मय निर्धारित आवेदन—पत्र भेजकर अनुरोध है कि कृपया इस परीक्षा कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों (क्रम संख्या 04 एवं 21) को सूचित करने की व्यवस्था करायें। आवेदन—पत्र विभागाध्यक्ष या इस कार्य हेतु उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भिजवाने का श्रम करावें। संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन—पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. संयुक्त शासन सचिव (वित्त) वित्त विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर को मय निर्धारित आवेदन—पत्र भेजकर अनुरोध है कि कृपया इस परीक्षा कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों (क्रम संख्या 04 व 22) को सूचित करने की व्यवस्था करायें। आवेदन—पत्र विभागाध्यक्ष या इस कार्य हेतु उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भिजवाने का श्रम करावें। संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन—पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय सरदार पटेल मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर को टंकित प्रति भेजकर अनुरोध है कि कृपया इस विज्ञप्ति को राजस्थान असाधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें तथा प्रकाशन के उपरान्त इसकी दो प्रतियां रिकार्ड हेतु संस्थान को भिजवाने का श्रम करावें।
5. प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षण एवं योजना, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु कमरा आवंटन कर इससे अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का श्रम करें।।
6. रक्षित पत्रावली।

(हरि सिंह मीना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
प्रभारी अधिकारी(परीक्षा)

13/01/2020

सूची 1
विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिये आवेदन पत्र

नियम 9(1) देखें

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षर में)

2. पिता का नाम

3. जन्म तिथि

4. सेवा का नाम (नियुक्ति आदि परिविक्षाधीन स्थाई/अस्थाई, कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)

5. पद एवं नियुक्ति का स्थान

6. यदि विभागीय परीक्षा में नियमों के अन्तर्गत पहले कभी बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रो मे उतीर्ण हो गये हो, उल्लेख करें ।

7. गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो

8. सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते है।

9. प्रश्न–पत्र जिसमें बैठना चाहते है। (इसका स्पष्ट उल्लेख करें)

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर एव ________________

पद________________

मोबाइल नं. ....

पूरा पता ________________

हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाकर आवेदन पत्र एवं पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर–302017 को प्रेषित है।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट– आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये है । जिस प्रश्न पत्र में छूट चाहे उसका क0स0 9 मे स्पष्ट उल्लेख करें ।

कार्यालय पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर–302017

क0 सं0———————— पंजीयन संख्या————————

श्री————————————जो————————————

———में हैं और इस समय ————————————के पद पर कार्य कर रहें है, को विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती हैं । जो कि दिनांक ————————से ————————तक हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर मे होगी ।

उनकी पंजीयन संख्या ऊपर अंकित की गई है । भविष्य मे पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

पंजीयक
विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवायें) एवं
निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर–302017

आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश –

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वंय अपने हाथ से स्याही से भरना चाहिये ।
2. अपना नियुक्ति स्थान पूर्ण एवं स्पष्ट लिखें जिससे रोल न0 प्राप्त होने मे विलम्ब न हो ।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गयी पूर्तियो की सत्यता की जॉच कर लेनी चाहिये ।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक मे पूरा नाम लिखना चाहिये ।
5. पंजीयक विभागीय परीक्षाऐं से प्राप्त रोल न0 स्लिप नोट संभाल कर रखना चाहिये । इस परीक्षा मे प्रवेश पाने के लिये परीक्षा अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी ।
6. परीक्षा मे बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र (टंकित, मुद्रित, फोटोस्टेट) तथा उत्तर–पुस्तिकायें दी जावेगी। अन्य लेखन सामग्री स्वंय का लानी होगी ।
7. जिन प्रश्न पत्रों के नियम, आदेश के उपयोग की छूट है । उसमे केवल वही नियम, आदेश की इजाजत होगी जिनके साथ टिप्पणी नहीं होगी ।
8. आवेदन पत्र के क0स0 4 के सामनें स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिये कि विभागीय परीक्षा के लिये किस प्रावधान के अनुसार विभागीय्र परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है ।
9. जिन प्रश्न पत्रो से छूट चाही है उनके लिये आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजें, जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र से छूट चाहने के लिये हाई स्कूल एवं उच्च परीक्षा हिन्दी विषय सहित उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजें ।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।